पंजीयन संख्या RNI No.: MPHIN/2002/09510 डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

UGC Care Listed and Peer Reviewed Referred Bilingual Monthly International Research Journal

प्रेषण दिनांक 30 पृष्ठ संख्या 28

आश्वस्त

वर्ष 27, अंक 256 फरवरी 2025

मन चंगा तो कठौती में गंगा

संपादक – डॉ. तारा परमार

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन की अन्तर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका

वर्ष : 27 अंक 256
फरवरी 2025

आश्वस्त

(सन् 1983 से निरंतर प्रकाशित)

RNI No.: MPHIN/2002/09510
ISSN : 2456-8856

भारती दलित साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश, उज्जैन (पंजीयन क्रमांक 2327 दिनांक 13/05/1999) की मासिक पत्रिका

संस्थापक सम्पादक
डॉ. पुरुषोत्तम सत्यप्रेमी

संरक्षक
सेवाराम खाण्डेगर
11/3, अलखनन्दा नगर, बिड़ला हॉस्पिटल के पीछे,
उज्जैन मो.: 98269-37400

परामर्श
आयु. सूरज डामोर IAS
पूर्व सचिव-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण वि.
म.प्र.शासन, भोपाल मो. 094253-16830

सम्पादक
डॉ. तारा परमार
9-बी, इन्द्रपुरी, सेठी नगर, उज्जैन-456010
मो. 94248-92775

सम्पादक मण्डल :
डॉ. जयप्रकाश कर्दम, दिल्ली
डॉ. खन्नाप्रसाद अमीन, गुजरात
डॉ. जसवंत भाई पण्ड्या, गुजरात
डॉ. शैलेन्द्र कुमार शर्मा, म.प्र.

Peer Review Committee
डॉ. श्रवणकुमार मेघ, जोधपुर(राजस्थान)
प्रो. दत्तात्रय मुरुमकर, मुंबई (महाराष्ट्र)
प्रो. रश्मि श्रीवास्तव, उज्जैन (म.प्र.)
डॉ. बी.ए.सावंत, सांगली (महाराष्ट्र)

कानूनी सलाहकार
श्री खालीक मन्सूरी एडव्होकेट, उज्जैन

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	लेखक	पृष्ठ
1	अपनी बात	डॉ. तारा परमार	3
2	सामाजिक उत्थान में डॉ. भीमराव आम्बेडकर का प्रदान	डॉ. जयश्री के दवे	4
3	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त कृषि ऋण की ब्याज दर एवं प्रक्रिया से हितग्राहियों की संतुष्टि : एक अध्ययन	डॉ. अभिशिखा परमार	8
4	केन्द्र राज्य संबंध : प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ	राजकुमार पटेल, शोधार्थी डॉ. नौरज सारवान, निदेशक	10
5	Impact of MGNREGA on Santhal Tribal : A Case Study of Sunder Pahari Block in Godda District of Jharkhand from May 2023 to December 2023.	Dr. Maninder Kumar Singh Dr. Subhash Kumar	16
6	Analysing The Influence of Artificial Intelligence On Employment Rights In India	Amanjot Kaur Dr. Shamsher Singh	19
7	The Tana Bhagar Movement	Dr. Saurabh Mishra	24

UGC Care Listed Journal
खाते का नाम – आश्वस्त (Ashwast)
खाते का नं.- 63040357829
बैंक – भारतीय स्टेट बैंक,
शाखा- फ्रीगंज, उज्जैन (Freeganj, Ujjain)
IFS Code - SBIN0030108

Web : www.aashwastujjain.com
E-mail : aashwastbdsamp@gmail.com

एक प्रति का मूल्य	:	रुपये 20/-
वार्षिक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 200/-
आजीवन सदस्यता शुल्क	:	रुपये 2,000/-
संरक्षक सदस्यता शुल्क	:	रुपये 20,000/-

विशेष : सम्पादन, प्रकाशन एवं प्रबंध अवैतनिक तथा पत्रिका में प्रकाशित विचारों से सम्पादक-मंडल का सहमत होना आवश्यक नहीं है। विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र उज्जैन रहेंगा।

अपनी बात

संत रैदास की भक्ति–पद्धति, जीवन दर्शन, सामाजिक तथा धार्मिक विचारधारा का निर्माण जिन युगीन परिस्थितियों में हुआ वह संक्रांति काल की स्थिति थी, जिसे रैदास ने अपने विवेक से और अपनी प्रतिभा से स्वीकार किया था। रैदास को जो समाज मिला था वह धार्मिक दृष्टि से अंध विश्वासी तथा रूढ़ियों से आक्रांत था। वर्ण व्यवस्था, जातिगत ऊँच–नीच, अस्पृश्यता और मिथ्याकार, कर्मकाण्ड सर्वत्र व्याप्त था।

संत रैदास ने अपनी साखियों, दोहों और पदों में उस समय की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति का बड़ा ही सटीक और मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। वे सामाजिक विषमता के विरोधी और स्वतंत्रता, समानता तथा बहुजन वाणी की अभिव्यक्ति हैं। उनकी अभिव्यक्ति में सिर्फ आध्यात्मिक क्षेत्र की मुक्ति का स्वप्न नहीं बल्कि सामाजिक विषमता से मुक्ति का स्वप्न भी विद्यमान है।

भारतीय चिंतन परम्परा में निर्गुण संतों ने ही जाति एवं जातिप्रथा के दुष्परिणामों को मजबूत स्वर दिया है। जाति–पांति विरोधी स्वरों को निर्भिकता के साथ अभिव्यक्ति दी है। संत रैदास का स्वर इनमें सबसे ऊँचा है। वे अपने पद में कहते हैं :–

''रैदास जनम के कारने, होत न कोऊ नीच।
नर कूं नीच करि डारि है, ओछे करम की कीच।।''

''रैदास बामन मत पूजिये, जऊ होवे गुन हीन ।
पूजिये चरन चाण्डाल के, जऊ होवे गुन परवीन।।''

संत रैदास ने जन्मना श्रेष्ठता की अतार्किक अवधारणा के स्थान पर कर्मणा श्रेष्ठता की अवधारणा स्थापित की है। वे जन्म की जाति के आधार पर किसी को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, वरन् कर्म को उसकी श्रेष्ठता का आधार मानते हैं। देखें –

''जनम जाति कूं छांडि करनी जान प्रधान।
ह्यो वेद को धरम है, कह रैदास परवान।।''

संत रैदास दासता को सबसे बड़ा कष्ट मानते हैं। इसलिये वे कहते हैं –

''पराधीनता पाप है, जानि लेहु रे मीत।
रैदास दास पराधीन को, कौन करे है प्रीत।।''

''पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन।
रैदास दास पराधीन को, सबही समझे हीन।।''

श्रमण–संस्कृति भारत के मूल निवासियों की संस्कृति है, जो श्रम–सृजन, मानव दुख निवारण, निर्वाण, मोक्ष, ज्ञान, ध्यान, योग, त्याग व प्रज्ञा पर आधारित है। संत रैदास ऐसी श्रमण संस्कृति के हिमायती हैं। वे परिश्रम करके खाने में विश्वास करते हैं। इसलिये वे कहते हैं –

स्रम को ईसर जानि के, जो पूजै दिन रैन ।
रैदास तिनहीं संसार में, मिलै सदा सुख चैन।।''

रैदास स्रम कर खाइये, जो तौ पार बसाय।
नेक कमाई जो करें, कबहु न निहफल जाय।।''

सद्गुरु संत रैदास ने सच्चरित्रता पर सर्वाधिक जोर दिया है और व्यसनों से दूर रहने को कहा है। व्यसनों को विष की भांति त्यागने की बात कही है –

'रविदास' मदिरा का पीजिए, जो चढ़े–चढ़े उतराय।
नाम महारस पीजिये, जो चढ़े तो नाहि उतराय।।''

संत रैदास कर्मकाण्ड, पूजा, तीर्थाटन, नदी स्नान, व्रत–उपवास आदि का विरोध करते हैं। वे कहते हैं –

''का मथुरा, का द्वारिका, का कासी हरद्वार।
रैदास खोज दिल आपना, तहं मिलया दिलदार।।''

''माथे तिलक हाथ जप माला, जग ठगने का स्वांग बनाया।
मारग छांडि कुमारग बहके, सांची प्रीति बिन हरि न पाया।।

संत रैदास की वाणी में मनुष्य की जन्मजात समानता का भाव मिलता है। उनका कहना है कि यह जीवन रहस्य है, केवल परमात्मा ही जीवन देता है और उसे समाप्त करता है। इसलिये जन्म से प्रसन्न व मृत्यु से दुःखी नहीं होना चाहिए –

''जीवन जोत कैसे जगे, कैसे होय अन्त,
रविदास मानुष न जाने जानत है भगवन्त।
रविदास जनमै को हरस का, का मरने को सोग,
बाजीगर के खेल को समझत नाहि लोग।''

संत शिरोमणि रैदास अपने समय के क्रांतिकारी, समाज सुधारक के साथ–साथ ज्ञान और भक्ति के क्षितिज पर एक दैदीप्यमान नक्षत्र थे। निराकार भक्ति आन्दोलन के संचालक संत कबीर साहब ने गुरु रवि साहब को परम पारस संत शिरोमणि जगत गुरु की उपाधि देते हुए कहा है –

संतन में रविदास शिरोमणि हैं, पारस गुरु सौ मानिया।
कबीर, हिन्दू–तुर्क, दोय दिन बने, कछु नहीं पहचानिया।
ऐसे संत रविदास जी को शत–शत नमन।

– डॉ. तारा परमार

सामाजिक उत्थान में डॉ. भीमराव आम्बेडकर का प्रदान

– डॉ. जयश्री के दवे

सारांश

दलितोद्धारक डॉ. बाबासाहब अंबेडकर ने भारत के संविधान में समता और समानता के मूल्यों का प्रावधान कर भारत के दलित समाज को समाज के मुख्य प्रवाह में शामिल होने का अधिकार दिया। इतना ही नहीं, अपनी विलक्षण प्रतिभा, कठोर परिश्रम और काबिल नेतृत्व से उन्होंने तत्कालीन रुढ़िवादी समाज में दलितों के लिये न्याय का आंदोलन शुरू किया, जिससे सदियों से अपने नसीब को कोसकर, अपनी परिस्थितियों से समझौता कर नर्क सी जिंदगी जी रहा दलित समाज अपने अधिकारों की लड़ाई के लिये जागृत और प्रेरित हुआ। उनके कठोर परिश्रम से भारतीय दलित समाज पिछड़ेपन, अश्पृश्यता, अपमान और शोषण जैसी भयावह परिस्थितियों का मजबूती से सामना करने में समर्थ और सशक्त बना। सांप्रत समय में दलित समाज जिस मुकाम पर खड़ा है, चाहे सरकारी पदों पर नियुक्तियाँ हो, अर्न्तजातिय विवाह हो या समाज के आदरणीय स्थानों में स्वीकृति हो, हर एक अधिकार के लिये डॉ. अंबेडकर का प्रमुख योगदान रहा है। भारतीय दलित समाज डॉ. अंबेडकर का सदैव ऋणी रहेगा ।

बीज शब्द–दलित समाज, रुढ़िवादी समाज, समाज उत्थान।

प्रस्तावना

'दलितों के मसीहा, 'दलितों के अन– अभिषिक्त सम्राट' और 'दलित हृदय सम्राट' जैसी उपाधियों से दलितों के हृदय में आदरपात्र स्थान के अधिकारी डॉ. भीमराव अंबेडकर ने भारतीय रुढ़िवादी समाज में दलितों की दयनीय स्थिति का कड़ा विरोध किया और रुढ़िवादी हिंदू समाज की अन्यायी परंपराओं पर वेधक प्रश्न उठायें। अंबेडकर रूढ़िवादी समाज से पूछते है– 'क्या विश्व में ऐसा कोई समाज है जहाँ ऐसे लोग रहते हों, जो एकदम अलग–थलग रहते हों और जिनकी परछाईं पड़ना और जिन्हें देखना पाप हो ? क्या कोई समाज ऐसा है, जिसमें अपराधिक जनजातियाँ रहती हों? क्या कोई ऐसा समाज है, जिसमें नंग–धड़ंग आदिवासी एवं वनवासी हों? वे गिनती में कितने हैं? क्या वे सैकड़ों या हजारों की संख्या में हैं? मेरी कामना है कि उनकी संख्या नगण्य हो। दुःख की बात है कि उनकी संख्या लाखों में है। ....घोर आश्चर्य ! (बाबासाहब व्यक्ति और विचार, पृ. 22)

रुढ़िवादी हिन्दू समाज को उनकी सदियों पुरानी विचारधारा बदलने के लिए मजबूर करना अंबेड़कर के लिये बिलकुल भी आसान नहीं था, लेकिन बचपन से हिन्दू समाज में व्याप्त अश्पृश्यता एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार का सामना कर रहे अंबेडकर ने हार नहीं मानी। बचपन में बड़े भाई के साथ सतारा जाते हुए बैलगाड़ी वाले का दुर्व्यवहार, प्यास के कारण गला सूखने पर दूषित पानी मिलना, बाल काटने पर उसत्रा दूषित हो जाने का हजाम का कथन, प्राथमिक विद्यालय में कक्षा से बाहर अपने घर से लाए आसन पर पढ़ना, शिक्षक का अश्पृश्यतापूर्ण बर्ताव जैसे अनेक असंवेदनशील अनुभवों से व्यथित अंबेडकर का एकमात्र उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, दलितों के लिये मंदिर प्रवेश का निषेध, सार्वजनिक तालाब, कुआँ आदि से पानी लेने पर निषेध, अस्पृश्यों का यज्ञोपवीत धारण करने पर प्रतिबंध आदि भयावह और अन्यायी परंपराओं से अपने दलित बंधुओं को मुक्त कर के उनका उद्धार करना था। अंबेडकर ने हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं भेदभावपूर्ण परम्पराओं के विरोध में लोगों को संगठित कर के शांतिपूर्ण आंदोलन किया। उनके तर्कपूर्ण एवं विवेकपूर्ण विरोध से अस्पृश्य समाज की दयनीय परिस्थिति पर रूढ़िवादी समाज का ध्यान गया और वे उस पर सोचने और बदलने पर मजबूर हुए।

समाज सुधार के लिये संघर्ष

दलित समाज उत्थान और रूढ़िवादी हिंदुओं को समझाने के लिये अंबेडकर को कई अपमान और

मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तत्कालीन रूढ़िवादी हिन्दु समाज और दलित समाज मनुस्मृति प्रेरित धर्म की बेड़ियों में ईतने जकड़े हुए थे कि, उनको अन्यायी धार्मिक विचारों से मुक्त करना अत्यंत मुश्किल था। उनकी सर्वप्रथम प्राथमिकता हिन्दुओं के मानस में परिवर्तन लाना थी। इस संदर्भ में डॉ. बाबासाहब अपने अनुभव व्यक्त करते हुए कहते हैं–'एक सुधारक के रूप में उनका मार्ग निष्कंटक नहीं था। वह अनेक दिशाओं से अवरुद्ध था। जिन लोगों को वे सुधारना चाहते थे उनकी भावनाएँ प्राचीन अतीत में गहरी धँसी हुईं थीं।" (बाबासाहब डॉ. अंबेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय, पृ. 263)

एक तरफ दलित समाज अपनी दयनीय परिस्थिति को नसीब या धार्मिक परंपरा मान कर जी रहा था, तो दूसरी और राजकीय सत्याग्रह में जुड़े हुए नेता भी देश की स्वतन्त्रता को ज्यादा अहमियत देते थे। उनका मानना था कि, स्वतन्त्रता के पश्चात् देश में अस्पृश्यों की स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन, अंबेडकर ने दलितों की सामाजिक स्वतन्त्रता की लड़ाई को ब्रिटिश शासन से स्वतन्त्रता की लड़ाई से हमेशा उपर रखा। स्वतंत्रता के लिये लड़नेवाले कोंग्रेस के रूढ़िवादी नेताओं को अंबेडकर ने अपने तीखे सवालों से चूप करा दिया–''जब आप अस्पृश्यों जैसे आपके खुद के देशबंधवों के बड़े वर्ग को विद्यालय का उपयोग करने भी नहीं देते है, तब क्या आप राज्यसत्ता के लिए योग्य हो? जब आप उनको गाँव के कुओं का भी उपयोग नहीं करने देते हो, तब क्या आप राज्य सत्ता के लिये योग्य हो ?... जब आप उनका प्रिय भोजन भी नहीं खाने देते, तब क्या आप राज्य सत्ता प्राप्त करने योग्य हो? (डॉ. बाबासाहब अंबेडकर विचारदर्शन परिचय विशेषांक, पृ. 23) अंबेड़कर का मानना था कि, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव स्वीकार नहीं करना चाहिए। जातिभेद से मुक्ति ही समाज की प्राथमिकता होनी चाहिये। उनका मत था कि, दलित समाज हिन्दु है और हिंदुओं जैसे सभी अधिकार उनको प्राप्त होने चाहिए। दलित समाज को न्याय दिलवाने के लिये अंबेडकर के सत्याग्रह का प्रेरणास्रोत हिन्दुओं का पवित्र ग्रंथ श्रीमदभगवद्गीता था। गीता के बारे में अंबेडकर कहते है–'गीता, सत्य के आग्रह का संदेश है। गीता के दर्शन का यही सार है कि, पहले भली–भाँति परख लो कि लक्ष्य यानि कार्य अच्छा है या नहीं? यदि उद्देश्य अच्छा है और उसी में समाज की भलाई निहित है, तो उसका आग्रह और उसके लिये किये जाने वाला संघर्ष अच्छा है। (भारतरत्न डॉ. अंबेडकर, पृ. 68) दलित समाज के न्याय के लिये अंबेडकर ने कई सत्याग्रह किये, जिससे समाज में दलितों की स्थिति में सुधार आया।

महाड़ जल सत्याग्रह

दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई में अंबेडकर द्वारा किये सत्याग्रहों में ''महाड़ जल सत्याग्रह'' प्रमुख है। यद्यपि महाड़ नगरपालिका ने सन 1924 में ही चवदार तालाब से सभी हिन्दुओं को पानी भरने का अधिकार दे दिया था, लेकिन कुछ रुढ़िवादी लोगों के विरोध के कारण अस्पृश्य लोग वहाँ से पानी नहीं ले सकते थे। इस विरोध को उन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार कर शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया। उनके अविरत प्रयत्नों से बंबई हाईकोर्ट ने 17 मार्च 1936 को दलितों को तालाब से पानी लेने का अधिकार दिया।

नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह

तत्कालीन भारतीय समाज में दलितों के मंदिर प्रवेश पर निषेध का विरोध अंबेडकर ने नासिक मंदिर प्रवेश सत्याग्रह से किया। डॉ. अंबेडकर का कहना था कि–''मंदिर में पूजा करने के लिए उन सभी को अनुमति होनी चाहिये, जो पूजा करना चाहते हैं। इसमें किसी प्रकार का भेदभाव, प्रतिबंध अथवा शर्त नहीं होनी चाहिये।'' (बाबासाहब व्यक्ति और विचार, पृ. 50) उन्होंने नासिक में 2 मार्च, 1930 के रामनवमी के दिन कालाराम मंदिर में दर्शन की अनुमति नहीं मिलने पर सत्याग्रह की शुरुआत की। उनके प्रयासों के कारण ही अक्तूबर 1935 में सरकार ने कानून बनाकर कालाराम मंदिर के दरवाजे सभी दलितों के लिये खोल दिये। बाद में, सन 1647 में बंबई सरकार ने प्रमुख सार्वजनिक मंदिरों के दरवाजे अस्पृश्य लोगों के लिये खोल देने का आदेश दिया।

अस्पृश्य लोगों को यज्ञोपवीत का अधिकार

महर्षि दयानन्द सरस्वती का मानना था कि, जाति के आधार पर किसी भी व्यक्ति को यज्ञोपवीत पहनने से मना करना आर्य संस्कृति का अपमान है। अंबेडकर ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा–'अस्पृश्य भी उतने ही निष्ठावान हिन्दू हैं जितने कि ब्राह्मण या कोई अन्य हिंदू। यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार सभी हिंदुओं का है। (डॉ.बी.आर.अंबेडकर : व्यक्तित्व एवं कृतित्व, पृ. 116–117) अंबेडकर ने बंबई में मार्च, 1920 में समाज समता संघ की स्थापना की। जिसके द्वारा 500 महारों को यज्ञोपवीत धारण करवाया गया। बाद में अप्रैल 1929 में दलित जाति परिषद के अधिवेशन में उनके ब्राह्मण मित्र श्री देवराव नाइक ने वेदमंत्रों के उच्चारण के साथ 6000 अस्पृश्य बंधुओं को यज्ञोपवीत धारण करवाया ।

मनुस्मृति दहन

दलित समाज की दुर्दशा से विचलित बाबासाहब समझ चुके थे कि, हिंदु समाज में महिलाओं और दलितों की दुर्दशा का कारण हिन्दु धर्म की मनुस्मृति प्रणीत जातिव्यवस्था है। अंबेडकर ने महाड़ सत्याग्रह में कहा कि मनुस्मृति असमानता पर आधारित है। इसके सिद्धांतों ने शूद्रों को निम्न स्थिति पर ला पटका है, उनका मान–सम्मान समाप्त हुआ है तथा उनके सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार समाप्त हो गए है । महाड़ के चवदार तालाब से दलितों को पानी देने के कोर्ट केस में भी पक्षकार ब्राह्मणों के मनुस्मृति के श्लोको के संदर्भों को कोर्ट ने मान्य रखे थे। ईसलिये अंबेडकर ने हिन्दु धर्म में अस्पृश्यता की जड़ बन चुके मनुस्मृति ग्रंथ का विरोध करने के लिये और रुढ़िवादी हिंदुओं का ध्यान खींचने के लिये मनुस्मृति का 27 मार्च, 1927 को दहन किया। उनकी मांग थी कि, मनुस्मृति के स्थान पर हिंदुओं की नई आचार संहिता बने जिसमें सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। स्वतन्त्रता के बाद उन्होंने मनुस्मृति के स्थान पर सामाजिक समानता और समरसता का प्रावधान देने वाला संविधान लिख कर भारतीय समाज को अप्रतिम भेंट दी।

दादर गणेशोत्सव आंदोलन

डॉ.अंबेडकर के दलित न्याय के आंदोलनों में एक आंदोलन दादर का गणेशोत्सव भी है। जब मुंबई के दादर के गणेशोत्सव में आयोजको ने मूर्ति स्थापना के दिन सैकड़ों अस्पृश्य लोगों को पंडाल में जाने से रोक दिया, तब आंबेडकर के समझाने पर अस्पृश्य लोगों को पंडाल में जाने की अनुमति मिली।

स्त्री सशक्तिकरण

बाबासाहब ने संविधान की कलम 14, 15 और 16 में दलितों के साथ स्त्रियों को समानता का अधिकार दिया । समाज में स्त्रियों की प्रगति के बारे में उनका कहना था कि–'मैं किसी समाज की प्रगति का अनुमान उस समाज की स्त्रियों की कितनी प्रगति हुई है, उससे लगाता हूँ। (स्त्री सशक्तिकरण और बाबासाहब अंबेडकर, पृ. 131) अंबेडकर के सामाजिक आंदोलनों में स्त्रियों की बराबर हिस्सेदारी थी। उन्होंने 25 दिसंबर, 1927 में महिलाओं से ही मनुस्मृति दहन करवा कर स्त्री मुक्ति के आंदोलन का आगाज कर दिया था। स्त्रियों के लिये कालाराम मंदिर प्रवेश, कामड़ी में वेश्याओं को कलंकित व्यवसाय में से बाहर निकलने का आह्वान आदि अनेक कार्यों से उन्होंने महिलाओं के उत्थान के सक्रिय प्रयास किये। स्वतन्त्रता के बाद श्रम मंत्री बनने पर उन्होंने कोयले की खदान में काम करनेवाली महिलाओं को प्रसूति की छुट्टी, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन का अधिकार दिया था। सांप्रत समाज में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण में अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है, यह निर्विवाद है ।

डॉ.अंबेडकर के दलितों के सामाजिक उत्थान के सुझाव

डॉ अंबेडकर कभी भी हिंदू धर्म के विरोधी नहीं थे, बल्कि बचपन से हिन्दु धर्म में उनकी अपार आस्था थी। वे धर्म को समाज उत्थान के लिए अनिवार्य मानते थे। धर्म के बारे में अंबेडकर कहते है–''बर्क जब कहते है कि सच्चा धर्म समाज का स्तंभ है और सब सच्ची नागरिक

सरकारों का उस पर आधार है तब उनके साथ मैं संमत होता हूँ....इसलिए मैं जीवन के इस प्राचीन नियमों को रद्द करने की विनती करता हूँ। मैं यह देखने को आतुर हूँ कि, उसका स्थान सिद्धांतोंवाला धर्म ले कि, जो सब से पर रहकर सच्चा धर्म होने का दावा कर सके।" (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन अने कवन, पृ. 52, 53)

डॉ. अंबेडकर हिन्दु समाज में सुधार के लिये जातिप्रथा के उन्मूलन के विचार को सही नही मानते। उनका यह दृढ़ मत था कि, अर्न्तजातिय विवाह ही जातिप्रथा निर्मूलन का एकमात्र सही रास्ता और सबसे सक्षम माध्यम है। उनका कहना था–'मुझे भरोसा हो चुका है कि, अर्न्तजातिय विवाह ही सच्चा उपाय है। अकेला लहू का मिश्रण ही सगे स्वजन होने की भावना पैदा कर सकेगा और जब तक ईस सगेपन की भावना सर्वोपरि नहीं बनेगी तब तक, जाति से उत्पन्न हुई अलगता की भावना, पराये होने की भावना का नाश नहीं होगा। (डॉ. बाबासाहब अंबेड़कर विचारदर्शन परिचय विशेषांक, पृ. 23)

अंबेडकर दलितों को शिक्षित, संगठित, संघर्ष के लिये समर्थ और सशक्त बनाना चाहते थे। उन्होंने दलित समाज को विकास का मूलमंत्र दिया कि, ''शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो।'' अंबेडकर दलितों को शिक्षित कर के डॉक्टर, इंजिनियर, प्रोफेसर, ऑफिसर और बेरिस्टर बनाकर उनकी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक प्रगति के द्वार खोलने के लिये प्रवृत्त थे। वे दलितों को 'शासनकर्ता समाज' के रूप में देखना चाहते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि, सत्ता में भागीदारी से ही दलितों की स्थिति में सुधार आएगा। उनको सवर्णों की दलितों प्रति 'भूतदया की भावना' कभी स्वीकार्य नहीं थी। दलितों के उद्धार के बारे में अंबेडकर का मत था कि–'दलितों को अपना उद्धार अपने आप ही करना पड़ेगा। अन्य पर आधार या विश्वास रख कर बैठ नहीं सकते। इसके लिये दलितों की अपनी एकता अनिवार्य है।(आर्षदृष्टा डॉ. बाबासाहब आंबेड़कर पृ. 46) दलितों की एकता के लिए उन्होंने मई – 1920 में अछूतों की अठारह जातियों को इकट्ठा कर के सशक्त सगठन बनाया ।

अंबेडकर ने दलितों और महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने हेतु संविधान में समता, समानता, लोकशाही, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय आदि अधिकारों का प्रावधान किया। उन्होंने दलित समाज एवं महिलाओं को शिक्षा का समान अधिकार दे कर उनको सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम बनने में सहायता प्रदान की ।

समापन

डॉ. अंबेडकर के लिये दलितों को समाज में आत्मसम्मानपूर्ण जीवनयापन का समान अधिकार दिलवाने का कार्य अति कठिनाई भरा और मुश्किल था। लेकिन, अंबेडकर ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपना पूरा जीवन दलितोद्धारक बन के दलितों के लिए ही समर्पित किया। समाज में आज दलितों की आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की स्थिति का सम्पूर्ण श्रेय अंबेडकर को जाता है। समूचा दलित समाज उनका सदैव ऋणी रहेगा। अमृतलाल ठक्कर को लिखे एक पत्र में अंबेड़कर अपने समाज उद्धार के कार्य के लिये विनम्रता से अपने आप को सामान्य व्यक्ति के रूप में देखते है–'गरीब मानवों का मैं एकमात्र नेता सहायक हूँ ऐसा दावा मैंने कभी नहीं किया है। मेरी अल्पशक्ति मात्र अछूतों के लिये ही है। मेरे लिये अछूतों की समस्या ही काफी हैं। अन्य प्रश्न कम महत्त्व के हैं ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन जीवन अल्प है यह समझकर प्रत्येक व्यक्ति एक ही समस्या हाथ पर ले सकता है। इसलिए मैं भी अस्पृश्यों के अलावा अन्य कोई सेवा की महत्वाकांक्षा नही करता।" (आर्षदृष्टा डॉ. बाबासाहब आंबेडकर, पृ. 48)

– डॉ. जयश्री के दवे
एसोसिएट प्रोफेसर
एम. बी. पटेल कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन
सरदार पटेल विश्वविद्यालय, वल्लभ विद्यानगर
आणंद (गुजरात) दूरभाष– 9824271474

संदर्भ :

1. कृष्णगोपाल (1664) बाबासाहब व्यक्ति और विचार। सुरुचि प्रकाशन । देशबंधु गुप्त मार्ग। झंडेवाला। नई दिल्ली ।
2. बाबासाहब (1663) डॉ. अंबेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय। नई दिल्ली। खण्ड. 1
3. महेरिया प्रकाशकुमार आर (तंत्री) (2009) डॉ. बाबासाहब अंबेडकर विचारदर्शन परिचय विशेषांक। अङ्क : 5–6। 'ज्ञाति का उच्छेद' डॉ. आंबेडकर का समाजशास्त्रीय विश्लेषण और कर्मशिलीय निदान। अहमदाबाद ।
4. अग्निहोत्री रामशंकर (1664) भारतरत्न डॉ. अंबेडकर। नई दिल्ली। भाग– 1.
5. जाटव.डी.आर.(1663) डॉ. बी. आर. अंबेडकर : व्यक्तित्व एवं कृतित्व। जयपुर ।
6. आगजा बलदेव (सम्पादन) (2016) ज्ञानांजलि। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। 'स्त्री सशक्तिकरण और बाबासाहब अंबेडकर – विषय' पर श्री प्रवीण गढ़वी का लेख ।
7. मकवाना. रमेश. एच. (1911) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन अने कवन (गुजराती)। पार्श्व प्रकाशन। अहमदाबाद।
8. ज्योतिकर पी. जी.(1998) आर्षदृष्टा : डॉ. बाबासाहब आंबेडकर। यूनिवर्सिटी ग्रंथनिर्माण बोर्ड। अहमदाबाद। द्वितीय आवृत्ति।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त कृषि ऋण की ब्याज दर एवं प्रक्रिया से हितग्राहियों की संतुष्टि : एक अध्ययन

– डॉ. अभिशिखा परमार

सारांश – प्रस्तुत शोध में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त कृषि वित्त की सुविधाओं का लाभान्वित हितग्राहियों के संदर्भ में अध्ययन किया गया है। सरकार ने अपनी कृषि वित्त नीति के द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा इस बैंक की सहायक बैंकों को भी कृषि कार्यों के लिए पर्याप्त वित्त प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया है।

प्रस्तावना – भारत एक कृषि प्रधान देश है। वर्तमान परिवेश में अधिकतर ग्रामीण परिवारों का जीवनयापन कृषि पर निर्भर करता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की सकल घरेलू उत्पाद में पूरा–पूरा योगदान देता है। परन्तु यह विचारणीय प्रश्न है कि कृषि वित्त सुविधा प्राप्त करने में कृषक को किन–किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है तथा बैंक द्वारा प्रदत्त कृषि ऋण की ब्याज दरों से हितग्राही संतुष्ट हैं या नहीं? इन तथ्यों को जानने के लिए प्रस्तुत शोध में प्रश्नावली के माध्यम से लाभान्वित हितग्राहियों का दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया गया है।

साहित्य की समीक्षा – (1) कुलकर्णी (1979) ने बैंकिंग क्षेत्र की सामाजिक जिम्मेदारी पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि बैंक परिचालनों से उत्पन्न होने वाले लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

(2) आईसीआरए (2003) ने अपने शोध पत्र में यह बताया है कि विभिन्न मानदण्ड़ों के तहत बैंक के सभी पहलुओं जैसे ब्याज मार्जिन ओपरेटिंग खर्च परिसंपत्ति की गुणवत्ता के साथ–साथ प्रति कर्मचारी स्थापना, प्रति कर्मचारी लाभ प्रदत्त का विश्लेषण किया गया है।

परिकल्पना

(1) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त कृषि ऋणों की ब्याज दर से हितग्राही संतुष्ट है।

(2) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त कृषि ऋणों की प्रक्रिया से हितग्राही संतुष्ट हैं।

परिकल्पना प्रथम का परीक्षण

H_1 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त कृषि ऋणों की ब्याज दर से हितग्राही संतुष्ट है।

H_0 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त

कृषि ऋणों की ब्याज दर का हितग्राही की सतुष्टि से कोई संबंध नहीं है दोनों में सार्थक अंतर विद्यमान है। इस परिकल्पना के परीक्षण हेतु कार्ल पियर्सन का सह सम्बन्ध गुणांक (Correlation) का प्रयोग किया है जो इस प्रकार है :–

कृषि ऋणों की ब्याज दर एवं हितग्राही संतुष्टि स्तर में सह सम्बन्ध (Correlation)

विवरण		हितग्राही संतुष्टि स्तर	ब्याज दर
Pearason Correlation	हितग्राही संतुष्टि स्तर	1.000	0.953
	ब्याज दर	0.953	1.000
Sig (1- taited)	हितग्राही संतुष्टि स्तर	0	0.000
	ब्याज दर	0.000	0
N	हितग्राही संतुष्टि स्तर	285	285
	ब्याज दर	285	285

दोनों चरों के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध जांचने हेतु उपरोक्त तालिका का निर्माण किया गया है जिसमें हितग्राही संतुष्टि स्तर व ब्याज दर का कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक (मान) 0.953 तथा सार्थकता मूल्य (P-value) का मान 0.000 प्राप्त हुआ है जो स्तरीय मान 0.05 से कम है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों चरों हितग्राही संतुष्टि स्तर व ब्याज दर के मध्य कार्ल पियर्सन का गुणांक (मान) अधिक है जो कि सार्थकता मूल्य (P-value) स्तर मान 0.05 से कम है अतः चरों के मध्य सार्थक सह सम्बन्ध है।

परिकल्पना द्वितीय का परीक्षण :

H_2 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त कृषि ऋणों की प्रक्रिया से हितग्राही संतुष्ट है।

H_0 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त कृषि ऋणों की प्रक्रिया से हितग्राही संतुष्ट नहीं है।

इस परिकल्पना के परीक्षण हेतु कार्ल पियर्सन का सह सम्बन्ध गुणांक (Correlation) का प्रयोग किया है जो इस प्रकार हैं :–

कृषि ऋण प्रक्रिया एवं हितग्राही संतुष्टि स्तर में सह सम्बन्ध (Correlation)

विवरण		हितग्राही संतुष्टि स्तर	कृषि ऋण प्रक्रिया
Pearson Correlation	हितग्राही संतुष्टि स्तर	1.000	0.933
	कृषि ऋण प्रक्रिया	0.933	1.000
Sig (1- taited)	हितग्राही संतुष्टि स्तर	0	0.000
	कृषि ऋण प्रक्रिया	0.000	0
N	हितग्राही संतुष्टि स्तर	285	285
	कृषि ऋण प्रक्रिया	285	285

दोनों चरों के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध जांचने हेतु उपरोक्त तालिका का निर्माण किया गया है जिसमें हितग्राही संतुष्टि स्तर व कृषि ऋण प्रक्रिया का पियर्सन सहसम्बन्ध का मान 0.933 तथा सार्थकता मूल्य (P-value) का मान 0.000 प्राप्त हुआ है जो स्तरीय मान 0.05 से कम है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि दोनों चरों हितग्राही संतुष्टि स्तर व कृषि ऋण प्रक्रिया के मध्य पियर्सन मान अधिक व साथर्कता मूल्य (P-value) स्तर मान 0.05 से कम है अतः चरों के मध्य सार्थक सह सम्बन्ध है।

निष्कर्ष :

इस प्रकार उपरोक्त परीक्षण का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि हमारे द्वारा ली गई प्रथम एवं द्वितीय परिकल्पना (H_1एवं H_2) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्तकृषि ऋणों की ब्याज दर एवं प्रक्रिया से हितग्राही संतुष्ट है। सत्य सिद्ध होती है।

– डॉ. अभिशिखा परमार
मोबा. 8319634382

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

(1) हाबर सीपी लेन के.आर. एस. (2008), बैंक में प्रारूप नवीनीकरण – मैकिन्स त्रैमासिक Valume पृ. 148–154

(2) www.sbi.nic.in

(3) www.sbi.mp

(4) पत्रिकाए तथा प्रतिवेदन ।

केंद्र राज्य संबंध : प्रमुख मुद्दे एवं चुनौतियाँ

– राजकुमार पटेल, शोधार्थी
– डॉ. नीरज सारवान, निदेशक

प्रस्तावना

संघवाद से आशय केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य विधायी, कार्यकारी एव प्रशासनिक कार्य विभाजन संविधान की अनुसूचियों में उल्लेखित किया गया है जिससे केंद्र एवं राज्य के मध्य टकराव की स्थिति को टाला जा सके और शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो जो विभिन्न धर्मो, संस्कृतियों एवं क्षेत्र विशेष के आधार पर शासित हो। आधुनिक युग में संघवाद दो विभिन्न स्थितियों जिस पर एक व्यापक सामान्य हित तथा स्थानीय स्वायत्तत्ता के बीच स्थायित्व का सिद्धांत है अर्थात संघवाद केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति के वितरण को सुनिश्चित करता है जबकि लोकतंत्र शक्ति के प्रयोग में जन भागीदारी की भूमिका को रेखांकित करता है। लोकतंत्र व संघवाद भारतीय संविधान की स्वयं की खूबियों को धारित करते हुए एक विशेष प्रकार का समायोजन है जहां केंद्रसरकार संपूर्ण भारत को लक्षित कर नीतियां बनाना एवं राज्यों द्वारा क्षेत्र विशेष की नीतियां बनाना एवं केंद्र एव राज्य दोनों सरकारों द्वारा देश के विकास हेतु कार्यान्वयन मिलकर क्षेत्रीय के साथ–साथ राष्ट्र को समृद्धि के मार्ग में लगातार सशक्त करता है जो सहकारी संघवाद का वास्तविक लक्ष्य होता है।

संविधान सभा में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाने के संदर्भ में कोई विवाद नहीं था, परंतु संघात्मकता की प्रकृति को लेकर मतभेद अवश्य थे अन्ततः कनाडा के मॉडल से प्रेरित होकर एवं भारतीय परिस्थितियों के अनुसार जो प्रमुखतः भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या, बहुल धार्मिकता तथा एकात्मक व्यवस्था के बीच सामंजस्य स्थापित कर विधिवत संवैधानिक उल्लेख किया हुआ है जिसका उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने कई बार किया है साथ ही सुप्रीम कोर्ट

द्वारा संघात्मक व्यवस्था को संविधान की मूल संरचना घोषित किया गया है। भारतीय लोकतंत्र के 75 साल के अपने समयावधि में अनेक बदलाव देखने को मिलता है यह परिवर्तन उस समय की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, नेतृत्व, आर्थिक स्थितियां का विशेष प्रभाव होता था। इस कारण भारतीय संघ व्यवस्था में केंद–राज्य संबंध को भी 4 चरणों में विभाजित कर सकते हैं– प्रथम चरण (1952 से 1967 तक) एक दलीय संघवाद पर आधारित था इसे कांग्रेस व्यवस्था के नाम से जाना जाता है क्योंकि उस समय केंद्र एवं राज्य दोनों जगह लगभग कांग्रेस की सरकार थी जिस कारण केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद नाममात्र के थे जिनका निस्तारण पार्टी स्तर पर ही कर लिया जाता था। द्वितीय चरण अभिव्यक्तिवादी संघवाद (1967 से 1989 तक) इस चरण को तनाव का काल कहां जाता है जिसमें राज्य के अंदर अस्थिर सरकारें बनने का दौर चालू हुआ एवं केंद्र सरकार द्वारा जिन्हें बर्खास्त करने एवं राष्ट्रपति शासन(अनुच्छेद 356 का प्रयोग) जैसे कार्य बहुतायत रूप में हुए। तृतीय चरण बहुदलीय संघवाद (1989 से 2014 तक) जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय दलों के उभार अनेक राज्यों में देखे गए साथ ही केंद्र में भी गठबंधन का दौर शुरू हो चुका था। इसी दौर में कांग्रेस से अलग होकर कई राज्य विशेष की पार्टीयां बनी। चतुर्थ चरण 2014 के पश्चात मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार का गठन हुआ जो राष्ट्रवादी संघ के साथ–साथ सहयोगी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद जैसे विचार को लेकर आगे बढ़ रही है ।

2014 में केंद्र में 1985 के बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने 2014 से जब शुरुआत की तो उनका गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में केंद्र–राज्य संबंध के कड़वे अनुभव को ध्यान में रखकर इस पर विशेष ध्यान दिया । जिससे टकराव की जगह सहयोगी एवं प्रतिस्पर्धी माहौल केंद्र एवं राज्य के मध्य स्थापित हो, इसी कड़ी में उनके द्वारा पूर्ण केंद्रीकृत व्यवस्था योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन करना, वित्त आयोग द्वारा राज्यों को ज्यादा अनुदान प्रदान किया जाना एवं जीएसटी जैसी व्यवस्था जहां केंद्र एवं राज्य मिलकर कर का निर्धारण एक मंच पर कर सके ।

केंद्र राज्य के बीच 2024 के बाद प्रमुख मुद्दे :–

वन नेशन वन इलेक्शन :– 2024 में मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है जिसकी सर्वोच्च प्राथमिकता एक देश एक चुनाव पर एक आम सहमति पर पहुंचना है। सरकार द्वारा अपने दूसरे कार्यकाल में ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में समिति का गठन किया था जिन्होंने सभी राजनीतिक पार्टियों से विचार विमर्श कर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी है। प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस एवं अन्य राज्यों (तमिलनाडु, केरल, पश्चिमी बंगाल तथा तेलंगाना) की सरकार द्वारा इसे संघीय ढाचे को नुकसान, राज्यों की स्वतंत्रता बाधित करना एव क्षेत्रीय पार्टी को इससे नुकसान बता रहे है। हालांकि कुछ विद्वान एक राष्ट्र एक चुनाव को क्षेत्रीय पार्टी पर राष्ट्रीय पार्टी की निर्भरता के रूप में देख रहे है।

समान नागरिक संहिता :– संविधान निर्माण के समय डॉ. अंबेडकर जी समान नागरिक संहिता के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था कि राजनीतिक क्षेत्र के साथ–साथ सामाजिक क्षेत्र में भी समान नागरिक संहिता को लागू कर शादी–विवाह, तलाक, संपत्ति एव उत्तराधिकार के साथ–साथ गोद लेने जैसे महत्वपूर्ण विषय जिसमें धार्मिक प्रभाव लगभग सभी धर्मो में विद्यमान होता है। इन्हीं विषयों को लेकर वर्तमान सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर गंभीर नजर आ रही है, भाजपा शासित दो राज्यों गोवा एवं उत्तराखण्ड में पहले ही लागू किया जा चुका है। सूर्यप्रकाश ने अपने शोध आलेख में उल्लेख किया है कि समान नागरिक संहिता विवाह, तलाक, विरासत के उत्तराधिकार जैसे गंभीर मुद्दों से निपटने में प्रमुख भूमिका निभा सकता हैं क्योंकि अभी भी सभी धर्मो में इन विषयों को लेकर भिन्न–भिन्न नियम हैं। वही नरेश गोस्वामी ने अपने शोध आलेख में समान नागरिक

संहिता विषय पर स्वतंत्रता से लेकर वर्तमान समय तक के प्रयासों एवं इसके लाभ एवं हानि पर गहन विमर्श किया है। यूसीसी को लेकर सरकार सभी राष्ट्रीय पार्टीयाँ, क्षेत्रीय पार्टी, धार्मिक संगठन, सिविल सोसाइटी के साथ–साथ सभी समुदायों के मध्य गहन विचार विमर्श के उपरांत ही इसको वास्तविक रूप में कार्यान्वित किया जा सकता है। परंतु कुछ राज्य विशेषकर केरल, पं. बंगाल द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है।

वक्फ बिल में संशोधन को लेकर विवाद :– भारत में वक्फ बोर्ड जैसे संस्थान की शुरूआत दिल्ली सल्तनत के समय से मानी जाती है लेकिन स्वतंत्रता के बाद नेहरू के कार्यकाल में सर्वप्रथम वक्फ अधिनियम 1954 लाया गया था। बाद में 1964 में एक केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की गई थी सशस्त्र बलों एवं रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड भारत में तीसरे सबसे बड़े जमींदार है। वक्फ इस्लामिक कानून एक प्रकार का धर्मार्थ बंदोबस्त है जहां संपत्ति का स्वामित्त्व अल्लाह को हस्तांतरित है। इसके अंतर्गत आने वाली संपत्ति को धार्मिक एवं गरीबों और जरूरत मंदो को सहायता करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थान को बनाएं रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना जैसे कार्य करता है। देश में अभी 30 वक्फ बोर्ड है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देशभर में 8.70 लाख संपत्तियां व 9.40 लाख एकड़ जमीन फैली हुई है। इसकी संस्थान में कई कमियां मौजूद है जैसे वक्फ की कार्यप्रणाली पूर्णरूप से आस्था, शरीयत कानूनों का पालन करना, यहां अभिजात वर्ग(अशरफ) मुसलमानों का कब्जा है जिसकारण सभी वर्गो का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा जिससे उनका शोषण हो रहा है जैसे(पसमांदा मुसलमान), जमीनों पर दावा करना, भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन का आरोप लगना इत्यादि। सरकार का प्रयास है कि इसमें संशोधन कर कमियों को दूर किया जाए जिससे यह अपने उद्देश्य में सफलता के साथ सभी वर्गो की सहभागिता सुनिश्चित हो साथ ही वक्फ के पास मौजूद संपत्तियों का जनभलाई के लिए हो साथ ही यह सवाल कि क्या एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में धार्मिक तरीके से कार्य कर सकता है? क्योंकि ऐसा अनुभव बताता है कि इनका पूर्ण सदूपयोग नहीं हुआ हाल ही में ऐसे कई केस (प्रकरण) आये जिससे इनकी कार्यशैली विवादित नजर आई उदाहरण रूप में वक्फ बोर्ड के विवादित फैसले पहला तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने थिरूचेंदुर गांव को अपनी संपत्ति बताया जबकि उस गांव की अधिकांश आबादी हिंदू है। दूसरा जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला कि ऐतिहासिक इमारतें वक्फ बोर्ड के अधीन नहीं हो सकती है। तीसरा दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों की जाँच की जा रही है। हालांकि इस बिल के आने के बाद कई राज्य इसके विरोध में दिख रहे है। केरल और कर्नाटक एवं प. बंगाल इसका धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाकर विरोध कर रहे है।

राज्यपाल की भूमिका :– राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है जो केंद्र का अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति किया जाता है । संविधान सभा इस पद को गरिमायुक्त, संविधान का संरक्षक, तथा केंद्र एवं राज्य के मध्य समन्वय का माध्यम होता है। लेकिन 1967 के बाद से यह संवैधानिक पद विवाद का केंद्र रहा है। राज्यपाल पद पर राजनीतिक व्यक्ति की नियुक्ति होने से इस पद का भी राजनीतिकरण हो गया है। सभी केंद्र सरकार द्वारा इस पद का दुरूपयोग किया गया है। वास्तव में यह पद राज्य में संवैधानिक संकट का प्रमुख कारण बन गया है। शुरुआत में राज्यपाल द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करना, राज्य की सरकार को वर्खास्त करना इत्यादि कार्य प्रमुख था लेकिन वर्तमान समय में राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लम्बित रखना, अनुमति न देना, राज्य की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगना, राज्य सरकार एवं राजभवन के बीच टकराव रहना इत्यादि आरोप वर्तमान में उन राज्यों में लगाये गये है जहां प्रायः विपक्षी दलों की सरकार होती है जैसे कि बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना एवं अन्य पूर्ववर्ती कांग्रेस शासित राज्य सरकार जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सरकार द्वारा लगाये जाते रहे

है। इस पद को लेकर कई आयोगो जैसे सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग जैसे ने भी कुछ संरचनात्मक सुधार पर जोर दिया है ।

जाँच एजेंसियों की भूमिका :– जाँच एजेंसियों की निष्पक्षता हमेशा संदेहास्पद रही है फिर वह किसी पार्टी की सरकार रही हो। सुप्रीम कोर्ट समय–समय पर इनकी कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताता रहा है। जाँच एजेंसियाँ पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है जिसकारण स्वभावतः इन पर विपक्षी दलों द्वारा आरोप लगाया जाता है जो केंद्र एवं राज्य के मध्य विवाद का मुद्दा रहता है। अभी सितम्बर 2024 को कर्नाटक राज्य द्वारा सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले लिया है। जिसका प्रमुख कारण राजनीतिक विद्वेष पूर्वक कार्यवाही को बताया है। सामान्य सहमति वापस लेने वाले राज्य कुल 8 है जिनमें विपक्षी दलों की सरकार है अर्थात जाँच एजेंसियों को लेकर राज्यों के मध्य अविश्वास विद्यमान है।

जीएसटी पर मतभेद :– जीएसटी व्यवस्था ने वित्तीय संघवाद में अभूतपूर्व परिवर्तित किया है क्योंकि इससे राज्यों ने कर से संबंधित विषयों पर अपने विवेकाधिकार की शक्तियों में केंद्र का अधिकार बढ़ा है। विपक्षी पाटीयों द्वारा शासित राज्यों (दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तेलंगाना) द्वारा नई दिल्ली में केंद्रीय धन के वितरण को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया था। जीएसटी के बाद राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों को लेकर कई मुददे उभरे है जिनमें कुछ का वर्णन इस शोध में किया गया है। पहला विषय राज्यों को उम्मीद थी कि जीएसटी सिस्टम के अंतर्गत उपकर और अधिभार आ जायेंगे। लेकिन इसके विपरीत नए उपकर और अधिभार बजटीय व्यवस्था से आते रहे और सभी जीएसटी व्यवस्था के बाहर रहे और इनको राज्यों के साथ साझा नहीं किया जाता है। एक अनुमान के अनुसार उपकरों और अधिभारों का कुल संग्रह 2009–10 में 70559 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में 6.6 लाख करोड़ लगभग है। इन संग्रहों में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी शामिल है। यदि इन उपकरो को सकल कर राजस्व का हिस्सा माना जाय तो उपकर और अधिभार 2009–10 में 11.3ः तो वही 2023–24 के अस्थायी आंकड़ों के अनुसार 14.8ः होने का अनुमान है।

प्रस्तुत है चार्ट 1

Chart 1 : The share of cesses and surcharges in the gross tax revenue from 2009-10 to 2024-25, in %

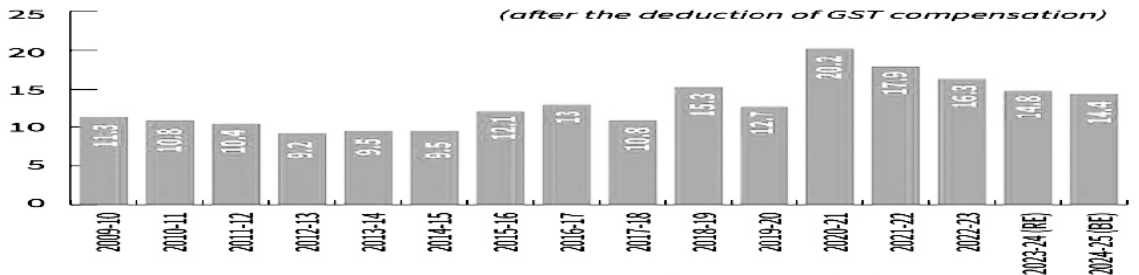

स्त्रोत, द हिंदू दिनांक 28–02–2024

दूसरी समस्या वित्त आयोग की सिफारिशों का केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतया पालन न करना । सकल राजस्व से उपकर, अधिभार और करों के संग्रह की लागत घटाकर शुद्ध आय जिसका केंद्र एवं राज्य के मध्य वितरण 15 वित्तआयोग के अनुसार 41 अनुशंसित को भी पूर्णरूप से पालन नही कर पा रहा है। जिस कारण कई राज्य अपने हिस्से का कर भारांस समय पर न मिलने का भी आरोप लगा रहे है। इस शोध में तीन वित्त आयोग की सिफारिशे जो क्रमशः 13, 14, एवं 15वां वित्त आयोग द्वारा 32% 42% एवं 41% की सिफारिश की गई थी तथा जो राज्यों को वास्वव में दिया गया है उसका वर्णन किया गया है। जहां 13वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान वार्षिक हस्तांतरण का औसत 31.1% था 14वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 40.3ः और 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 38.1% हुआ है । जो राज्यों की वित्तीय स्थिति को निरंतर कमजोर कर रहा है ऐसा आरोप राज्यों द्वारा लगाया जा रहा है ।

चार्ट 2

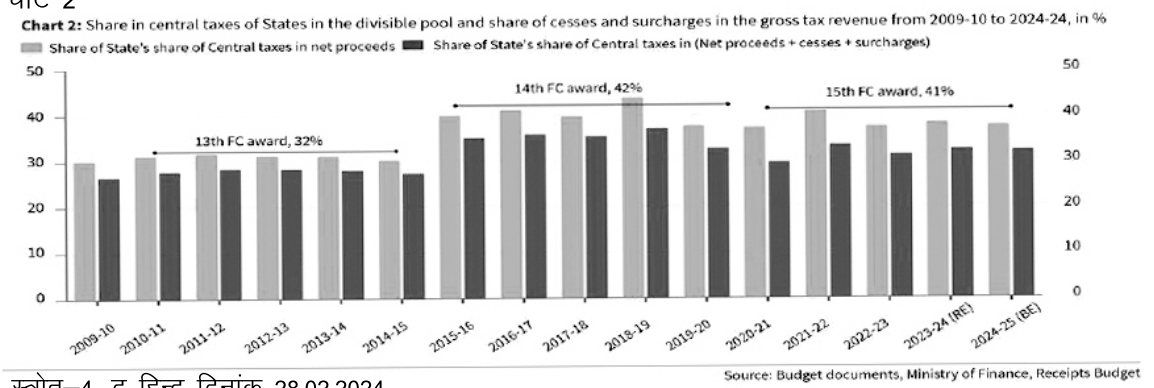

स्त्रोत–4, द हिन्दू दिनांक 28.02.2024

केंद्र का इस संदर्भ में मत है कि कुछ व्यय की जिम्मेवारी सिर्फ केंद्र की है जिनका भार पूर्णरूप से केंद्र द्वारा किया जाता है जैसे सुरक्षा व्यय, किसान सम्मान निधि देना डीबीटी के माध्यम से, स्वास्थ्य बीमा एवं अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाएं इत्यादि। जिसमें केन्द्र के राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है।

नागरिकता संशोधन कानून :– 2019 में पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को आम चुनाव 2014 के कुछ समय पहले लागू कर दिया जिसमें 31 दिसम्बर 2014 को या उससे पहले रहने वाले नागरिकों को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, और पाकिस्तान से आये हुए हिन्दू, सिख, जैन, बौध, पारसी और ईसाई, अप्रवासियों को भारत की नागरिकता के पात्र हो चुके है साथ ही इन अप्रवासियों को 11 वर्ष के बजाय प्रतिक्षा अवधि 5 वर्ष कर दी गई है। प्रमुखतः इन तीन देशो के अल्पसंख्यक पीड़ित समुदाय को संरक्षित करने का प्रयास है। इसके अलावा, इसमें ऐसा कुछ भी नही है जो किसी की नागरिकता को छीनता हो। आलोचकों विशेषकर विपक्षी पार्टीयों का मानना है कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों, उदारवाद, समानता, और न्याय के सिद्धांतों का उल्लघंन है। इस कानून के संदर्भ में दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक प्रचार विपक्ष द्वारा किया गया कि इसको राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से जोड़ने की कोशिश की गई जो विशेष धर्म वाले व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर देगा यदि पर्याप्त दस्तावेजी सबूत नहीं होगे। इसको लेकर कुछ राज्य अपने राज्य क्षेत्र में लागू नहीं करने की बात कर रहे है जैसे पं.बंगाल ।

केंद्र–राज्य संबधों की प्रमुख चुनौतियाँ :–

सत्तापक्ष एवं विपक्षी पार्टी के मध्य मतभेद की जगह मनभेद होना :– कई विद्वानगण का मानना है कि वर्तमान में सत्तापक्ष एवं विपक्ष के मध्य मनभेद बढ़ा है जिसका प्रमुख कारण राजनीतिक कड़वाहट है जो प्रायः चुनावों के समय व्यक्तिगत व्यक्तिगत राजनीतिक आरोपों का बढ़ना अर्थात आरोप प्रत्यारोपों का बढना। जिसका प्रभाव केंद्र–राज्य संबंध पर भी पड़ा है विशेषकर प्रशासनिक एवं वित्तीय क्षेत्रों में इसका प्रभाव दिखता है जिसकारण सहयोगी संघात्मक व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

राज्यों पर मडराता वित्तीय संकट :–

कोविड संकट के बाद से केंद्र एवं राज्यों में राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ा है तथा केंद्र एवं राज्यों के द्वारा कल्याणकारी योजनाओं, राज्यों द्वारा मुफ्त की लोकप्रिय घोषणा में व्यय भी बढ़ा है जिसकारण लगभग सभी राज्यों में आर्थिक वित्तीय संकट मडराया है और राज्य तय सीमा से ज्यादा ऋण लेकर आर्थिक जरूरत को पूर्ण करने का प्रयास किया है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों की ऋण सीमा अधिकतम 3 प्रतिशत की सीमा लगा दी है। जिससे राज्यों द्वारा उधार न ले पाने से योजनाओं एवं विकास पर पर्याप्त मद खर्च नही कर पायेंगे ।

केंद्र की राज्य राजनीति में रूचि लेना :– वर्तमान समय में राजनीति सत्ता के साथ बने रहने का माध्यम बन गया है अब राजनेता के मूल भाव राजनीतिक विचारधारा, जनता की सेवा भाव की भावना, देश का विकास जैसे भाव अब प्रतीत नहीं होते जिसमें प्रमुख भूमिका दलबदल की रही है इससे सांसदों एवं विधायकों के पास स्वतंत्र आवाज नही रह गयी अब ये सिर्फ पार्टी के वफादार कार्यकर्ता है। वर्तमान में चुनाव के समय बड़ी मात्रा में प्रतिनिधि राज्य एवं केंद्र के चुनाव में पार्टी की हवा के अनुसार पार्टीयां बदल देते है। दलबदल कानून का उद्देश्य स्थिर राजनीति के साथ–साथ स्वच्छ राजनीति को बढ़ाना था जो शायद ही इसने प्राप्त किया हो।

निष्कर्ष : 2024 के पश्चात केंद्र की सत्ता में श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आयी जिन्होंने केंद्र एवं राज्यों के मध्य विद्यमान अंतरद्वन्द को दूर करने की कोशिश की जहां एक ओर योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन, वित्त आयोग द्वारा राज्यों को दिये जाने वाले वित्त में वृद्धि करना (वर्तमान 41%) जीएसटी कानून से कर कानूनो में व्याप्त विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया। वहीं दूसरी ओर राज्यों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ाने हेतु सहयोगी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, जीवनस्तर इत्यादि क्षेत्रों में सूचकांक के माध्यम से राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया साथ अच्छे प्रदर्शन पर केंद्र द्वारा प्रोत्साहन किया जाना। इन सबके बावजूद कई राज्यों का मानना है कि केंद्र द्वारा भेदभाव पूर्ण नीति लागू करना, सस्थाओ का राज्य के विरूद्ध इस्तेमाल करना, राज्यों को अस्थिर करना जाँच एजेंसियों के माध्यम से व वित्त संबंधी समस्याएँ । अतः केंद्र को चाहिए कि एक बड़े भाई होने के नाते राज्यों की उचित चिंताओं का अवश्य निराकरण करे जिससे केंद्र एवं राज्य के मध्य सहयोगी संघवाद जो संविधान का मूल भी को निहितार्थ कर सके।

– राजकुमार पटेल, (शोधार्थी)
राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला
विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन
मोबा. 85460 24943

– डॉ. नीरज सारवान
विभागाध्यक्ष लोक प्रशासन विभाग, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शास. माधव महाविद्यालय उज्जैन

संदर्भ :

- बसु दुर्गा दास – भारत का संविधान एक परिचय लेक्सिस नेक्सिस प्रकासन।
- गोस्वामी नरेश – समान नागरिक संहिता सवाल और संभावनाएँ प्रतिमान अजीज प्रेमजी विश्वविद्यालय, वॉल्यूम–10, संख्या–1द्व पृष्ठ संख्या 39–54
- वर्मा पवन के. – राज्यपालों का राज्य सरकारों से विवाद अप्रिय होता जा रहा है दैनिक भास्कर संपादकीय दिनांक 28–09–2024 पृष्ठ क्रमांक 6
- मेहता प्रताप भानू – एक देश एक चुनाव के पक्ष–विपक्ष में तर्क उलझाऊ हैं दैनिक भास्कर संपादकीय दिनांक 19–10–2024 पृष्ठ क्रमांक 6
- आर. रामाकुमार–आर स्टेट गेटिंग फण्डस् दे आर इनटाइटलड फ्राम दा सेंटर ? आर्टिकल दा हिंदू दिनांक 28–02–2024 https://www-thehindu-com/news/national/are-states-getting-funds-they-are-entitled-from-the-centre/article 67897234-ece
- जैफलाट क्रीस्टोफर और वार्नियरस गिल्स न्यू पार्टी सिस्टम आर ए न्यू पोलिटिकल सिस्टम ? टेलर एण्ड फ्रैंस्सि ग्रुप 2020 वोल्यूम 28 नम्बर 2, पृष्ठ क्रमांक 141–154
- बेगम आमना–भारत का सबसे बड़ा शहरी जमींदार है वक्फ बोर्ड, लेकिन किसके हित में काम कर रहा है? संपादन दा प्रिंट https://hindi-theprint-in/opinion/waqf-board-muslim-community-islamic-law-waqf-law-sunni-waqf-board/ 490939/
- धुरधर जयंत कुमार, अनुच्छेद – 44 समान नागरिक संहिता की वर्तमान समय में उपयोगिता. इंटरनेशनल जरनल ऑफ एडवांस इन सोसल साइंस वोल्यूम 12 इशू 2 वर्ष 2024 पृष्ठ क्रमांक 70–76
- सिंह सुशील कुमार, जीएसटी और चुनौतियां जनसत्ता समाचार पत्र संपादकीय 19–08–2021 पृष्ठ क्रमांक 6
- देवी तारा, डायनामिक नैचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, इंटरनेशनल जरनल ऑफ अप्लाइड रिसर्च 2015 पृष्ठ क्रमांक 250–353
- कुमार संजय, घाटे में होने के बावजूद मुफ्त चीजों का वादा कर रही हैं पार्टियां दैनिक भास्कर संपादकीय 19–12–2024
- प्रकाश चन्द्रा सत्या, भारत में समान नागरिक संहिता : प्रासंगिकता एवं आवश्यकता, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमनटीस एण्ड सोसल साइंस रिसर्च, वॉल्यूम – 10, इश्यू–2 पृष्ठ संख्या 48–51

Impact of MGNREGA on Santhal Tribal : A Case Study of Sunder Pahari Block in Godda District of Jharkhand from May 2023 to December 2023.

- Dr. Maninder Kumar Singh,[1]
- Dr. Subhash Kumar[2]

Abstracts :

National Rural Employment Guarantee Act 2005 (NREGA) later renamed the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA) is an Indian labor law and social security measure that aims to guarantee the 'right to work'. It aims to enhance livelihood security in rural areas by providing at least 140 days of wage employment in a financial year to every household whose adult member volunteers to do unskilled manual work. Hence, the study is an attempt to understand the implementation of MGNERGA among Santhal tribal of Sunder Pahariblock of Godda district of Jharkhand.

Keys words : Tribal, Rural, Employment, Wage, Security, Guarantee, Work, Santhal.

Introduction :

Bharat development means remotest region of rural India's development will takes place with the help of government programme and policy. MGNREGA is one of the schemes that were initiated with the objective of enhancing work security in rural areas by providing at least 140 days of guaranteed wage employment in a financial year, to every household whose adult members volunteer to do unskilled manual work. MGNREGA is such a scheme of central government which covered all the districts of India from 1 April 2008. MGNERGA in the eye of the government is the largest and most ambitious social security and public works programme in the world. In its World Development Report 2014, the World Bank termed it a "stellar example of rural development". The Santhal tribe of Jharkhand is the major tribe in the state resided in Santhal pargana region of Jharkhand. Employment is to be provided within 5 km of an applicant's residence, and minimum wage is to be paid. If work is not provided within 15 days of applying, applicants are entitled to an unemployment allowance. Employment under MGNERGA is a legal entitlement. The National Rural Employment Programme (NREP) of community development, and the Rural

Landless Employment Guarantee Programme of focus on landless households. Registration with Gram Panchayat is the first process to get involved as an applicant of MGNREGA and issue of job cards. The wage employment must be provided within 15 days of the date of application. The work entitlement of 120 days per household per financial year may be shared between different adult members of the same household.

Literature review :

Academic research had focused on many dimensions of the MGNREGA: economic security, self- targeting, women's empowerment, asset creation, corruption, and how the scheme impacts agricultural wages.

Kareemulla and etal in their study observed that rural poor have been able to generate employment and make a dent on poverty in the rainfed areas of India. Income and employment effects on the landless households are on the expected lines (K. Kareemulla, P. Ramasundaram, Shalander Kumar and c.a. Rama Rao).

Mahendra Dev in his article on impact of 10 years of MGNREG came out with an overview of all aspects of changes that had taken place from poverty alleviation to infrastructure development. At a relatively modest cost (0.3% of GDP) about 50 million households are getting some employment. A majority of MGNREGA workers are women, and close to half are Dalits or Adivasis.

Raja Lakshmi and Selvan in their research concluded that MGNREGA is programmes which proved that there is an increase in the welfare of the family for both male and female workers like spending more for family, children's education and enables those savings in bank and post offices after working under MGNREGA programmes.

Research Objectives

a) To study the awareness about MGNREGA initiative among Santhal Tribal of Sunder Pahari block.

b) To ascertain the perception of Santhal Tribal audience about MGNREGA.

c) To examine the level of acceptance of MGNERGA among Santhal Tribal of Sunder Pahari block.

Sample profile

The study is conducted in Dumartari, Sarmi, Goga and Lawadih village of Bara Sindri Panchayat and Karma Tanr Panchayat respectively of Sundhari Pahari Block of Godda district of Jharkhand. From these four (4) villages

variables were randomly selected for the purpose of the study.

Data interpretation and analyses

A total of 60 respondents from the selected villages were conducted for the purpose of evaluation of acceptance of MGNREGA.

An interview guide conducted 10 questions for the purpose of DATA collection. The data collection was collected from the 60 MGNREGA beneficiaries.

The interview was conducted in a face-to-face situation and elaborated data was collected. The data collected from 60 respondents was analyses and findings are presented herewith.

Report :

In a question how do you come to known about MGNERGA? 60% of male and 50% of female respondents answered by way of Gram Sabha, 20% of male reply through Block official only 12% of female said through Block official. Rest of 20% of male and 38% of female said through villagers and neighbors.

In another question asked about how the rural audience perceived the programme. Respondents reveal that they have accepted initiative about the MGNERGA and also see the benefits they derived by accepting the programme- The respondent also said such programme will help them by getting work in certain geographical areas and avoid the migration for work too far places-

To the question, which was answered about the acceptance of the programme] almost all the respondent expressed certification for being a part of MGNREGA- They also express that whatever they earn is good enough to fulfill their very basic need and overcome the problem of hunger- Since eligible people from the family are enrolled in the programme] the respondent said it added to their additional income to some extended-

Further probing on the benefits of MGNREGA at the individual level the beneficiaries reported that the programmes were more beneficial, if it is implemented in their village or in a close by neighbor village- The advantage seen how that is saving on the travel expenditure which could cut into their earnings. Besides this, time could also be saved if it was not necessary to travel too long distances-

The beneficiaries reported that the contractor restored to some under cutting in the wages specifically with female

workers as women were not able to work in the full prescribed time limits.

Conclusion

Initiative of the government not in the wage after study respondent reply we can say the basic growth of Santhal Tribes in Sunder Pahari block of Godda district has taken place by the acceptance of MGNERGA in their life individually and socially. Firstly, they have work to do and engage themselves in that particular work for earning and overcome the problem of poverty. Secondly Santhal Tribes also have additional income in their pocket to invest in their children's education and health. Thirdly women of Santhal Tribe are independent and self-respected in their family and society too. Finally, the hundred (100) days of work to Santhal Tribe's help in avoid migration to other places in the state or outside state, this help in making individual more social.

- Dr. Maninder Kumar Singh
Assistant Professor,
JMC, PILA, Parul University,
Vadodara, (Gujarat)
Mob. 9799897169
- Dr. Subhash Kumar
Associate Professor,
SSS, Central University of Gujarat,
Gandhinagar (Gujrat)

References :
1. Assistant Professor, JMC, PILA, Parul University, Vadodara, Gujarat.
2. Associate Professor, SSS, Central University of Gujarat, Gandhinagar.

ANALYSING THE INFLUENCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ON EMPLOYMENT RIGHTS IN INDIA

- Amanjot Kaur
- Dr. Shamsher Singh

Abstract

Artificial Intelligence (AI) is revolutionizing India's labour market, raising questions about employment rights. This abstract examines AI's impact on job opportunities, working conditions, and legal frameworks. It examinesAI's transformative influence on the labour market demands and careful consideration of its implications for employment rights in India.

INTRODUCTION

Artificial Intelligence refers to the development of computer systems that can perform tasks typically requiring human intelligence, such as learning, problem-solving, and understanding natural language.AI introduces automation, augmentation, and new job roles, boosting productivity but also fuelling concerns about job displacement, especially for low-skilled workers. However, AI also presents opportunities for upskilling and reskilling, enabling workers to adapt to evolving job demands and access new employment avenues.

A BRIEF HISTORY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: FROM MYTHICAL TALES TO MODERN MARVELS

The fascination with Artificial Intelligence (AI) has transcended centuries, from ancient myths of intelligent beings to modern technological marvels shaping our lives. AI's journey reflects human ingenuity and determination to create machines mirroring, and sometimes surpassing, human intelligence.

Rooted in ancient tales like Pygmalion's statue and the Jewish Golem, AI began crystallizing as a scientific field in the 20th century, marked by the 1956 Dartmouth Conference. Led by pioneers like McCarthy and Minsky, it explored programming machines for intelligent behaviour.

Early AI progress faced computing limitations, focusing on specific tasks like chess or theorem proving with rule-based systems. The 1980s saw a surge in expert systems, mimicking human expertise but was followed by the "AI winter" due to hype-induced disillusionment.

The 21st-century AI resurgence owes to factors like big data, deep learning, and powerful hardware. Deep learning, inspired by the brain's structure, empowers AI to learn from vast data, driving breakthroughs in image recognition, natural language processing, and autonomous driving. AI's evolution exemplifies humanity's quest for technological transcendence.

NAVIGATING EMPLOYMENT RIGHTS IN INDIA

India, a diverse and rapidly developing nation, grapples with the intricacies of employment rights against the backdrop of a dynamic and evolving job market. This article explores the landscape of employment rights in India.

Employment rights under the Indian Constitution

The Indian Constitution establishes a framework for fundamental rights relevant to employment, despite not explicitly outlining employment rights. Key provisions include:

1. **Right to Equality** (Article 14): Ensures equal opportunities in employment, prohibiting discrimination.
2. **Right to Freedom** (Article 19): Grants individuals the freedom to choose their employment, subject to reasonable restrictions.
3. **Right against Exploitation** (Article 23-24): Prohibits forced labor and trafficking, punishable under law.
4. **Right to Constitutional Remedies**

(Article 32): Allows workers to seek enforcement of their rights in court.

5. **Directive Principles of State Policy** (Article 39): Guides state policies to ensure justice, humane work conditions, and maternity relief.
6. **Right to Education** (Article 21A): Ensures access to education for employment readiness.
7. **Right to Life and Personal Liberty** (Article 21): Interpreted broadly to include a dignified working environment and fair wages.
8. **Right to Social Security** (Article 41) : Emphasizes public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, and disablement.

Employments rights under different laws in India

Employment rights in India are safeguarded by various labour laws and regulations. These laws cover a wide range of aspects, including wages, working conditions, social security, and protection against discrimination. Here are some key employment rights under different laws in India:

1. **Minimum Wages Act, 1948 :** Guarantees fair remuneration to workers. Establishes the concept of a minimum wage, ensuring that employees receive a wage that meets their basic needs.
2. **Payment of Wages Act, 1936 :** Regulates the payment of wages and timely disbursement. Specifies the time and mode of wage payment.
3. **Equal Remuneration Act, 1976:**Ensures equal pay for equal work, regardless of gender.Prohibits discrimination on the basis of gender in matters of wages and recruitment.
4. **Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952 :** Mandates the establishment of provident funds for employees. Ensures financial security for employees through contributions from both employers and employees.
5. **Employees' State Insurance Act, 1948:**Provides social security to employees in case of sickness, maternity, and employment injury.Requires employers to contribute to the Employees' State Insurance (ESI) scheme.
6. **Industrial Disputes Act, 1947 :** Regulates industrial disputes and lays down the procedure for the resolution of conflicts.Provides for compensation in case of wrongful termination.
7. **Factories Act, 1948 :** Ensures the health, safety, and welfare of workers

in factories.Prescribes working hours, conditions, and provisions for leave.

8. **Maternity Benefit Act, 1961**:Grants maternity leave to female employees.Ensures certain benefits and safeguards during pregnancy and childbirth.
9. **Child and Adolescent Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986:**Prohibits the employment of children in certain occupations and processes.Regulates the conditions of work for adolescents.
10. **Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition, and Redressal) Act, 2013:**Addresses sexual harassment at the workplace.Mandates the establishment of Internal Complaints Committees (ICCs) and prescribes procedures for filing complaints.
11. **Trade Unions Act, 1926:**Provides for the registration and protection of trade unions.Facilitates collective bargaining and negotiations between employers and employees.
12. **Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 :** Requires employers to notify employment vacancies to employment exchanges.Aims to facilitate better job matching between job seekers and employers.

INFLUENCE OF AI ON EMPLOYMENT RIGHTS

Artificial Intelligence (AI) is reshaping society, including India's workforce, prompting a closer examination of employment rights:

1. Automation and Job Displacement : AI-driven automation may lead to job losses, necessitating reevaluation of employment rights for affected workers.

2. **Skill Shift and TrainingNeeds**: With AI integration, skill demands change, requiring comprehensive training programs to safeguard workers' rights.
3. **Algorithmic Bias and Discrimination :** AI hiring tools may perpetuate biases, requiring scrutiny to ensure compliance with anti-discrimination laws.
4. **Data Privacy and Employee Rights:** Protecting employee privacy in AI-driven workplaces demands robust legislation and policies.
5. **Legal Framework for AI in Employment:** Clear regulations are needed to govern AI usage in hiring and decision-making while safegua-

rding fundamental employment rights.

6. **Unionization and Collective Bargaining :** Labor unions play a vital role in negotiating fair terms amid AI advancements.
7. **Government and Stakeholder Involvement:** Collaborative efforts are crucial in shaping policies to address AI's impact on employment rights equitably.

CONCLUSION :

The influence of Artificial Intelligence (AI) on employment rights in India is multifaceted. While AI offers opportunities, it also presents challenges requiring a proactive approach. India can address these by establishing a legal and ethical framework, investing in skill development, and promoting collective bargaining. The existing legal framework for employment rights must adapt to AI challenges, necessitating comprehensive legislation. This should address ethical, social, and economic implications, safeguarding workers against discrimination, ensuring fair compensation for AI-generated value, and establishing accountability and transparency mechanisms in AI system.

- Amanjot Kaur
Research Scholar
Mob. 9855376827
- Dr. Shamsher Singh
Guru Nanak Dev University, Amritsar.
Assistant Professor, Guru Nanak Dev University
Regional Campus, Gurdaspur.

References :

Adrienne Mayor, Gods and Robots: Myths, Machines, and Ancient Dreams of Technology, Princeton University Press, New Jersey, 1st ed. 2018.

Bensha C. Shaji and Angel Shaji, Artificial Intelligence and its impact on Indian Employment, International Journal of Law Management and Humanities, Vol.- 4, Issue- 1, 2021, pp. 138-153.

Dheeraj Singh and Dr.GeetaliTilak, Employment Transformation Through Artificial Intelligence in India, International Journal of Applied Engineering Research, Vol.- 14, Issue- 7, 2019, pp. 65-70.

Ela Kumar, Artificial Intelligence, Shree MaitreyPrintechPvt. Ltd., Noida, 1st ed., 2022.

John McCarthy, Defending AI Research: A Collection of Essays and Reviews, Centre for the Study of Language and Information Publication Lecture Notes, Stanford University, California, 1st ed., 1997.

M.P. Jain, Indian Constitutional Law, Lexis Nexis, 7th ed. 2016.

The Tana Bhagat Movement

- Dr. Saurabh Mishra

Abstract :

Many Adivasis and non-Adivasis of Chotanagpur attended the special session of Congress held at Calcutta from 4 to 9 September 1920 under the president-ship of Lala Lajpat Rai. At the call of Mahatma Gandhi, the tribes of Chotanagpur actively participated in the Non-Cooperation movement. Gandhiji himself visited Chotanagpur in 1920-21 and stayed at Bhimraj Bansidhar Modi Dhramshala at Ranchi. In the wake of Non-Cooperation movement, we see a tribal movement called the Tana Bhagat movement which became quite popular in Chotanagpur.

Tana Bhagat movement (1914-22) among the Oraons of Chotanagpur was a cultural revitalization movement in nature and was caused by the rise of political radicalism in the wake of Gandhian Non-Cooperation movement. It established a new sect, the Tana Sect, which was markedly different from the Oraon community. The movement was an obvious reaction to the repressive tax system brought forward by the erroneous survey and settlement in Chotanagpur region in 1902-8. The immediate targets were the landlords, moneylenders, British administrators, police and the dikus. The Oraons blamed their age-old Gods and Goddesses for all their hardships and started worshipping a new religious cult preached by the Vaishnava gurus called Bhagat in lieu of that. (De, Debasree, 2022, p. 96)

The Tana Bhagat movement was first started in April 1914 by a young Oraon called Jatra Bhagat of the village Chingri Nawatoly of Bishunpur Thana in Gumla sub-division. Jatra, at the age of 20, gave up the worship of spirits, prohibited from taking meat, liquor and forced labour. Very soon Jatra gained popularity and many Oraons of Ranchi, Palamau and Hazaribagh became his followers (Dutta, 1957, p. 332). His cult was also called Kurukh Dharam (true religion). He formulated a rule of conduct and said that the Oraons have to give up worshipping of the spirits and instead worship the Kurukh dharam; they have to give up animal sacrifice, meat-eating, liquor consumption, song and dance, visiting to the dormitories, wearing colourful clothes or jewellery or tattoo, and witchcraft practicing. He declared that the Oraons had to lead an ascetic life free from extravagance and luxury. Jatra asked his followers to stop tilling the fields and paying rents to the landlords and to refuse to engage themselves as labourers to any non-Oraons (Phillip, Ekka., 1972, p.426.) The movement spread like wildfire and the British police eventually arrested and imprisoned him.

The Oraons were well aware that mere religious revitalization would not help them in bringing the Oraon Raj. Thus it was from 1919 onwards that the Tana Bhagat movement developed political overtones. By January 1919, the fire of the Tana Bhagat movement became widespread and met with severe police repression. The leaders such as Shibu, Maya, Sukra, Singhia, and Debia were arrested and convicted. And then the leadership was handed over to Turia Bhagat and Jitu Bhagat, who vigorously launched the campaign for non-payment of Chaukidari tax and no-rent campaign against the zamindars.

These resolutions were immediately supported by the leadership of the Congress (Dhan, R.O., 1960, p.169.) The Deputy Commissioner of Ranchi admitted that the Non-Cooperation movement had revitalized the Tana Bhagat movement. The Tana Bhagats started attending the Congress meetings in large numbers. According to a report submitted by the SP, Ranchi on the issue of Non-Cooperation movement among the Oraons and other tribes of Ranchi from 31 January to 13 February 1921, it is

evident that in these 13 days, 18 meetings were organized esp. in the Tana Bhagat areas i.e. Mandar, Kuru, Lohardaga and Bero Police stations (Datta, 1957, p. 336).

Rajendra Prasad, Mazhar-ul Haque and Motilal Nehru all paid visit to different districts of Chotanagpur starting from Dhanbad, Hazaribagh, Jharia, Chatra and Ranchi. Under the influence of these great leaders, the Tana Bhagats started boycotting foreign cloth and liquor. They also started using khadi and charkha. They also established village panchayats for arbitration of local disputes. The Tana Bhagats refused to pay rent and chaukidari tax and declared that they will not give up their land, even if they were dispossessed by the landlord. The Superintendent of Police warned them that their refusal to pay rent would reduce the tenants to penury and starvation, but they refused to be intimidated to change their decision. By August 1921, the Non-Cooperation movement had acquired a strong hold among the Hos. Phulchand Dusadh, an influential person from Chittimitti, showed the villagers picture of Mahatma Gandhi and told them that Gandhi was their Raja. He said: “If the people do not obey Gandhi's orders devils will come and eat them, people will get no food or drink, they will become lame... New schools will be constructed with the order of Gandhi and the government schools will be abolished. No school fees should be paid. The cutcheries should be closed. In Gandhi's Raj, no rents will be paid."

The Non-Cooperation movement provided an opportunity to the Tana Bhagats to vent their anger against the banias. The Tana Bhagats attempted to regulate prices and to close down large markets in some areas. In Palkot market, in February 1921, they issued orders that rice to be sold at 16 seers per rupee instead of eight, paddy at 32 seers and cloth at half price (Singh, 2012, p. 178). An incident of ‘looting and uproar' was reported from a market in Lohardaga in April 1921. The banias of this market purchased locally produced goods from Tendar and sold them at Lohardaga and other areas at exorbitant prices. A few days before the looting, the villagers decided at a meeting that if at the next haat the banias sold the local goods at higher prices to make a huge profit, they would beat them. Many villagers came to the haat 'armed with sticks' on the day of looting. The local price of a ploughshare was 7 annas, whereas at Lohardaga it was sold for Re. 1, which meant at a profit of more than 100 per cent. The stalls of the banias and other vendors were looted. Several banias were badly beaten. Grain, salt, tobacco, cloth, utensils, spice and thread disappeared from the haat. In the midst of their looting, they shouted that the British Raj was over and Gandhi was in power.

Ghani Singh Kharwar of Palamau attended the Calcutta session of Congress in 1920. After returning from the session, he organised the Kharwar tribes of Palamau for the non-cooperation movement. Under his leadership, thousands of ‘reserved' Sal trees

were cut and forests were cleared to prepare fields to grow cotton. Ghani Singh declared himself as the Raja of Palamau. But soon he was prosecuted by the British forces (Veerottam, p.355). The struggle over forests was a significant aspect of the Non-Cooperation movement in Chotanagpur. Many Kherwars participated in this movement demanding the restoration of the customary rights of tribals to extract timber and collect forest produce for their own consumption. There were cases of 'illicit cutting' in the government reserved forests.

After the suspension of the Non-Cooperation movement, Gandhi's constructive programme became the sole objective to pursue. The constructive programme was quite popular in Chota Nagpur. In 1925 Gandhi visited Jamshedpur along with Dr. Rajendra Prasad at the request of C.F. Andrews and from there he went to Chaibasa, the Ho heartland and to Khunti, the Munda centre. The Hos styled themselves as the disciples of Gandhi and used to recite Angrez Bahadur Noy (No More British) Gandhi Mahto Ki Jai (Victory to Gandhi Mahto) and thus promoted Gandhi as a tribal functionary (Debasree, 2022, p. 113). Gandhi's tour encouraged the Adivasis and the Congress leadership in organizing khadi exhibitions and popularized the use of khaddar. In 1927, Gandhi visited Chota Nagpur again and addressed a number of public meetings.

Conclusion : Therefore, the Tana Bhagats could easily relate their desire for Oraon Raj to the Gandhian vision of self-rule and started imbibing the ideology propagated by him during the non-violent Non-Cooperation movement against the British. Meanwhile, Congress carried out constructive programmes in Chotanagpur and tried to expand its base among the adivasis.

- Dr. Saurabh Mishra
Assistant Professor,
Department of History,
Government Degree College, Salooni,
District Chamba, H.P. Pin Code 176320
Mobile No. 9317515213

Address for Correspondence
: 6/481 Vineet Khand, Gomti Nagar,
Lucknow, U.P. Pin Code 226010

References:

1. De, Debasree. Gandhi and Adivasis, New Delhi, 2022.
2. Dhan, R.O. 'The Problems of the Tana Bhagats of Ranchi District', Bulletin of Bihar Tribal Welfare Research Institute, Ranchi, vol. 2, 1960.
3. Datta, K.K. History of Freedom Movement in Bihar, vol. I, Patna, 1957.
4. Datta, K.K. Writings and Speeches of Gandhiji Relating to Bihar from 1927 to 1947, Govt. of Bihar, Patna, March 1967.
5. Phillip, Ekka. 'Revivalist Movements among the Tribals of Chota Nagpur' in Tribal Situation in India, ed. K.S. Singh, Shimla: Indian Institute of Advanced Studies, 1972.
6. Singh, K.S. "The Mahatma and the Adivasis", Gandhi and the Social Sciences, 1970.
7. Singh, Lata. Popular Translations of Nationalism Bihar, 1920-1922, New Delhi, 2012.
8. Sinha, S.P. Conflict and Tension in Tribal Society, New Delhi, 1993.
9. Terrorism in India 1917-1936, Intelligence Bureau, Govt. of India Press, 1937.
10. Virottam, B. Jharkhand: Itihaas evam Sanskriti' (in Hindi), Patna, 2001.

डा. देवेंद्र दीपक मैथिलीशरण गुप्त 22 सम्मान से सम्मानित

गणतंत्र दिवस पर रवीन्द्र भवन में मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित अलंकरण समारोह में मध्यप्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री मंगू भाई पटेल ने विख्यात साहित्यकार डा देवेंद्र दीपक को मैथिलीशरण गुप्त सम्मान वर्ष 22 से अलंकृत किया। सम्मान स्वरूप शाल, श्री फल, प्रशस्ति पत्र और पांच लाख की सम्मान निधि भेंट की गयी।

डा दीपक को मंच तक पहुंचने में हो रही असुविधा को देख महामहिम राज्यपाल स्वयं मंच से उतर कर आए और उनका सम्मान किया और शतक बनाने की शुभकामनाएं दीं।

डा देवेंद्र दीपक सांस्कृतिक उन्मेष, सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय के प्रखर पक्षधर के रूप में पहचाने जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि उज्जैन में आयोजित संत रविदास महा सम्मेलन में डा दीपक मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित हुए। अखिल भारतीय दलित साहित्य अकादमी दिल्ली ने उन्हें डा अम्बेडकर विशिष्ट सेवा सम्मान मिला। भारती दलित साहित्य अकादमी और 'आश्वस्त' से वह प्रारंभ से ही जुड़े रहे हैं।

इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान के लिए डा दीपक को बहुत-बहुत बधाई!

पंजीयन संख्या
RNI No. MPHIN/2002/9510

डाक पंजीकृत क्रमांक मालवा डिवीजन/204/2024-2026 उज्जैन (म.प्र.)

प्रतिष्ठा में ,

_____

_____

_____

_____

पत्र व्यवहार का पता :
20, बागपुरा, सांवेर रोड,
उज्जैन 456 010 (म.प्र.)

प्रकाशक, मुद्रक पिंकी सत्यप्रेमी ने भारती दलित साहित्य अकादमी की ओर से
मालवा ग्राफिक्स , 29, वररुचि मार्ग, गुरुद्वारे के सामने, फ्रीगंज, उज्जैन फोन : 0734-4000030 से मुदित एवं
20, बागपुरा, सांवेर रोड, उज्जैन 456 010 (म.प्र.) फोन : 0734-2518379 से प्रकाशित।

सम्पादक : डॉ. तारा परमार